पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 06 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक- 06.09.2023

दिनांक 05/06-09-2023 को रात्रि थाना अमीनाबाद 03, थाना माल 01, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना नगराम-दिनांक 06.09.2023 को उ0नि0 गौरीशंकर यादव थाना नगराम लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01- लवकुश पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम भजाखेड़ा थाना नगराम जनपद लखनऊ को ग्राम भजाखेड़ा भट्ठा मोड़ के पास थाना नगराम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में करीब 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना निगोहा-दिनांक 06.09.2023 को थाना निगोहा द्वारा बताया गया कि श्री रामगुलाम पुत्र स्व0 नैगू निवासी-मस्तीपुर थाना निगोहां लखनऊ ने थाना निगोहां पर सूचना दिया कि दिनांक 05.09.2023 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि में उसके पुत्र महेश उम्र करीब 33 वर्ष ने अपने भूसे वाले घर के अन्दर दरवाजा बन्द कर छते में लगे लोहे के कुण्डे से रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राजेश कुमार मो0नं0 8299607261 थाना निगोहां द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के 02 पुत्र हैं व मृतक मजदूरी करता था।

थाना आशियाना-दिनांक 06.09.2023 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि वादी श्री अजय सिंह निवासी-म0नं0-588/412 भदरूख बंगला बाजार लखनऊ ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि वादी की गाड़ी मारूति सुजुकी डिजायर वाहन संख्या-यूपी 32 एनपी 0714 जो कि सफेद रंग की है, दिनांक 04.09.2023 को पंजाब नेशनल बैंक के बगल में खड़ी थी। अज्ञात चोरों द्वारा वादी के उक्त वाहन को चोरी कर लिया गया है। वादी की उक्त गाड़ी में वादी के आवश्यक कागजात एवं गाड़ी के पेपर व दूसरी चाबी भी रखी थी। **इस सूचना पर थाना आशियाना पर मु0अ0सं0 378/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना इन्दिरानगर-दिनांक 06.09.2023 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री सोनू गुप्ता पुत्र स्व0 राम नरायण गुप्ता निवासी-सिटी लेन नं0 04 जरहरा थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 02.09.2023 को वादी अपने उक्त घर में ताला बन्द करके परिवार सहित अपनी ससुराल गया हुआ था। दिनांक 03.09.2023 को समय करीब रात्रि 10.20 बजे ससुराल से वापस घर आने पर देखा कि वादी के घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। जब वादी घर के अन्दर गया तो देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और कमरे में रखी आलमारी खुली थी। आलमारी में रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात व 80 हजार रूपये को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0 317/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**